न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

समक्ष :– बाल कृष्ण तिवाड़ी आर ए एस.

तारीख रजू
17.12.2012

तारीख निर्णय
06.04.2017

उनवान

1. करतारसिंह पुत्र ईश्वरसिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1. अमरीकसिंह पुत्र ईशर सिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..... अप्रार्थी

(प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट,आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 जा0 दी0)

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. *श्री तयैब हुसैन एडवोकेट – प्रार्थी*
2. *श्री फकरूदीन एडवोकेट – अप्रार्थी*

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1831 रकबा 0.22 हैक्ट0 वाके ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी में प्रार्थी 1/5 भाग का काबिज काश्तकार खातेदार है, और प्रार्थी व अप्रार्थी आपस में भाई थे और अप्रार्थी ने अपना 7/15 हिस्सा जबानी प्रार्थी को बैय कर दिया, और प्रार्थी से अपने हिस्से की रकम अप्रार्थी ने ले ली चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थी आपस में भाई–भाई थे इस कारण कोई लिखा पढी नही हुई और अब अप्रार्थी के मन में बेईमानी आ गई और अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त आराजी 8/15 हिस्से में रूकावट व मजाहमत पैदा करता है। जबकि अप्रार्थी अपना हिस्सा बय कर चुका है। विवादित आराजी से अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध नही है।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला दावा अप्रार्थी को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वोह विवादित आराजी खसरा नम्बर 1831 रकबा 0.22 हैक्ट0 वाके ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी से प्रार्थी को उसके हिस्से से जबरन

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

बेदखल न करे व विवादित आराजी को किन्ही दीगर शख्स को रहन, बय न करे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अपने 1/15 भाग की बाबत बंटवारा का दावा ला सकता है अप्रार्थी के 7/15 भाग की आराजी से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है। अप्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज है और काश्त करता चला आ रहा है। और काबिज है प्रार्थी का अप्रार्थी की आराजी से कोई लेना देना नही है न अप्रार्थी ने कभी अपनी हिस्से की आराजी का बेचान किया है प्रार्थी ने महज अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की गरज से गलत दावा पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि आराजी खसरा नम्बर 1831 रकबा 0.22 हैक्ट0 वाके ग्राम पाटा तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रार्थी 1/5 भाग का काबिज काश्तकार खातेदार है, और प्रार्थी व अप्रार्थी आपस में भाई थे और अप्रार्थी ने अपना 7/15 हिस्सा जबानी प्रार्थी को बैय कर दिया। प्रार्थी व अप्रार्थी आपस में भाई–भाई होने के कारण कोई लिखा पढी नही हुई और अब अप्रार्थी के मन में बेईमानी आ गई और अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त आराजी 8/15 हिस्से में रूकावट व मजाहमत पैदा करता है। जबकि विवादित आराजी से अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध नही है। अप्रार्थी के विद्वान वकील ने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी के 7/15 भाग की आराजी से प्रार्थी का कोई लेना देना नही है। अप्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज है और काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से वाद पेश किया है जो खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित आराजी का बेचान

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

हुआ है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़(अलवर)

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल कृष्ण तिवाड़ी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़(अलवर)

रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है, जो अराजी दावा व दरख्वास्त में ..